अध्याय-4

कॉरपोरेट गवर्नेंस

अध्याय 4

4.1 कॉरपोरेट गवर्नेंस

4.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 को बदल कर कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबंधन एवं गवर्नेंस, निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता, निदेशक मंडल की बैठकों और इसकी शक्तियों पर कंपनी नियम, 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कंपनी नियम के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आवश्यकताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान है:

- ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी, ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर, या ₹ 50 करोड़ से अधिक बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा वाली कंपनियों द्वारा सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और लेखापरीक्षा समिति जैसी कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना। {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) का नियम 4 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1)}।
- व्यावसायिक आचरण के लिए कर्तव्य एवं मार्गनिदेश के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए अहर्ताएं {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) के नियम 5 के साथ पठित धारा 149(6)}।
- ₹ 100 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या 300 करोड़ या अधिक के टर्नओवर वाली सार्वजनिक कंपनियों के बोर्ड में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) का नियम 3}।
- प्रतिवर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरह आयोजित करना कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {धारा 173(1)}।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) की इक्विटी और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) के बॉण्ड्स स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे। हालांकि, एच.एफ.सी. के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 की प्रयोज्यता पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि इसने 2010 से नया कारोबार बंद कर दिया है और सेबी ने भी न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के अनुपालन से एच.एफ.सी. को छूट (दिसंबर 2018) दी है।

4.1.2 चयनित एस.पी.एस.ई. द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2020 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरियाणा में 36 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस.पी.एस.ई.) थे। फरवरी 1988 में स्थापित सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के अधीन) ने विभिन्न मुद्दों पर एस.पी.एस.ई. को निर्देश दिए हैं, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

समीक्षा के प्रयोजन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक आकलन किया गया था। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समीक्षा में 22 कार्यशील एस.पी.एस.ई. हैं। इस प्रतिवेदन में समीक्षा किए गए एस.पी.एस.ई. के साथ-साथ छोड़े गए एस.पी.एस.ई. की सूची क्रमश: ***परिशिष्ट IV ए*** और ***परिशिष्ट IV बी*** में दी गई है।

4.2 निदेशक मंडल का गठन एवं बैठकें

4.2.1 निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.), कॉरपोरेट गवर्नेंस का साधन है। यह गवर्नेंस नीतियों एवं व्यवहारों के कार्यान्वयन की एक एजेंसी है। यह आवश्यक है कि निदेशक मंडल कॉरपोरेट गवर्नेंस पर ध्यान दे और अपेक्षित प्रतिनिधित्व के साथ सुसज्जित हो और इसके सदस्य नियमित रूप से बैठकें करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में निर्दिष्ट है कि बोर्ड को दो लगातार बैठकों के बीच अधिकतम 120 दिनों के समय अंतराल के साथ वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी चाहिए। नीचे दी गई तालिका 4.1 उन कंपनियों को दर्शाती है जहां 2019-20 के दौरान एक वर्ष में आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या की आवश्यकता की अनुपालना नहीं की गई:

तालिका 4.1: एस.पी.एस.ई. जहां निदेशक मंडल की चार बैठकों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1.	हार्ट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	3
2.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	3
3.	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	2
4.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2
5.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	3
6.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	3
7.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	3
8.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	3

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2021) कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उसके निदेशक मंडल की चौथी बोर्ड बैठक कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2021) कि कंपनी निदेशक मंडल की अनुपलब्धता और कोविड-19 महामारी के कारण केवल दो बोर्ड बैठकें ही आयोजित कर सकी।

4.2.2 स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक से अभिप्राय एक प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक या एक नामांकित निदेशक के अतिरिक्त अन्य निदेशक से है जो सत्यनिष्ठ हो और जिसके पास संबद्ध निपुणता एवं अनुभव हो। प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण लेने में सक्षम स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड में उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कंपनी नियम, 2014 के नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) में प्रावधान है कि ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ 50 करोड़ से अधिक के कुल बकाया ऋणों, डिबेंचरों और जमाओं वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। इस मानदंड को पूरा करने वाली

12 एस.पी.एस.ई. की सूची ***परिशिष्ट IV सी*** में दी गई है। इन 12 एस.पी.एस.ई. में से दो एस.पी.एस.ई.[1] को स्वतंत्र निदेशक होने के मानदंड का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। शेष 10 एस.पी.एस.ई. में से एक एस.पी.एस.ई. (हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड) में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था जबकि शेष नौ एस.पी.एस.ई. अपने बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक रखने के मानदंड को पूरा करते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के संबंध में अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कंपनी ने राज्य सरकार से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध भी नहीं किया था।

आगे, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) (बी) के अननुपालन में, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई की आवश्यकता को निर्धारित करते हुए, जहां बोर्ड के अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे, एच.वी.पी.एन.एल. के बोर्ड में नौ निदेशकों में से दो (22.22 प्रतिशत) स्वतंत्र निदेशक थे।

4.2.3 निदेशक मंडल में महिला का प्रतिनिधित्व

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी या ₹ 300 करोड़ या अधिक के टर्नओवर वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। इस मानदंड को पूरा करने वाले ऐसे सात एस.पी.एस.ई. की सूची ***परिशिष्ट IV डी*** में दी गई है। इन सभी सात एस.पी.एस.ई. के बोर्ड में महिला निदेशक थीं।

4.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

4.3.1 औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की औपचारिकता एक नियुक्ति-पत्र के माध्यम से की जाएगी जो नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि यह अवलोकित किया गया कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों वाले नौ एस.पी.एस.ई. में से सात एस.पी.एस.ई. में, जैसा कि तालिका 4.2 में सूची दी गई है, 2019-20 के दौरान नियमों एवं शर्तों के विवरण देने वाले कोई नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किए गए थे।

तालिका 4.2: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किए गए

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
6.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
7.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

[1] हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, संयुक्त उद्यम होने के कारण असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2021) कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियुक्ति के नियम और शर्तें स्वतंत्र निदेशकों को जल्द ही भेजी जाएंगी। एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने बताया (जनवरी-फरवरी 2021) कि एम.सी.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2113 (ई) दिनांक 5 जुलाई 2017 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति-पत्र जारी करना सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी कम्पनियों के लिए उक्त प्रावधान की अनुप्रयोज्यता केवल तभी प्रासंगिक थी जब नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई थी; और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सभी मामलों में, राज्य सरकार ने ऐसे नियमों एवं शर्तों को निर्दिष्ट नहीं किया था।

4.3.1.1 नियुक्ति का तरीका

नियुक्ति का तरीका अनुसूची-IV धारा IV का उप-धारा (2) में प्रावधान है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति को शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, हालांकि, शेयरधारकों की बैठक में उनकी नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया गया था।

तालिका 4.2(ए): एस.पी.एस.ई. की सूची जहां शेयरधारकों की बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया गया था

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
5	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
7	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
8	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम
9	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने बताया (जनवरी-फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों के साथ पहली बैठक में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान, जिनमें आचार संहिता और टी.ए./डी.ए., बैठक फीस आदि जैसे निबंधन एवं शर्तें शामिल हैं, स्वतंत्र निदेशकों के साथ साझा किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता सहित नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को नियुक्ति-पत्र जारी करके औपचारिक रूप दिया जाना अपेक्षित था।

4.3.2 व्यावसायिक आचार संहिता

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV में स्वतंत्र निदेशकों के लिए व्यावसायिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में संहिता का प्रावधान है। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आर.बी.सी.) और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) नामक दो एस.पी.एस.ई. ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी और स्वतंत्र निदेशकों को औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी किया

था। जबकि एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव में व्यावसायिक आचार संहिता शामिल थी, वहीं एच.एस.आर.बी.सी. द्वारा स्वतंत्र निदेशक के नियुक्ति-पत्र में इसे शामिल नहीं किया गया था।

4.3.3 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV में निर्दिष्ट है कि स्वतंत्र निदेशक उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और नियमित रूप से अपने कौशल, ज्ञान एवं कंपनी के साथ सुपरिचय को अद्यतित करेंगे। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि तालिका 4.3 में सूचीबद्ध एस.पी.एस.ई. में स्वतंत्र निदेशकों, जो वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड में थे, को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

तालिका 4.3: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
6.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
7.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
8.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
9.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (जनवरी-फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के अंतर्गत कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वतंत्र निदेशक संगठन (अर्थात कंपनी) की पहल के बिना प्रेरण प्रशिक्षण नहीं ले सकते थे।

4.3.4 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा III (3) में बताया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक-मंडल और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, 2019-20 के दौरान कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 4.4 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या इंगित करती है:

तालिका 4.4: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने अन्य बोर्ड समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2 (2)	2[2](2)
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1 (3)	-
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2 (2)	-
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	4(3)	-

[2] लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की एक बैठक।

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने अन्य बोर्ड समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया (बैठकों की संख्या)
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	4 (8)	1[3](1)
6	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2 (9)	-
7	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2 (1)	-
8	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2 (4)	-
9	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2 (2)	2[4](3)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उन बैठकों की संख्या दर्शाते हैं जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित था।

इस प्रकार, उपर्युक्त कंपनियां अपने मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता और अनुभव का उपयोग नहीं कर सकीं और उनकी नियुक्ति का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

एच.पी.जी.सी.एल., एच.एस.आई.आई.डी.सी. और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशक अपनी पूर्वव्यस्तता के कारण बैठकों में शामिल नहीं हो सके; यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि कंपनी अधिनियम की धारा 167 (1) (बी) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के लिए बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेना आवश्यक नहीं था, प्रत्येक निदेशक के लिए बारह माह की अवधि के दौरान बोर्ड की कम से कम एक बैठक में भाग लेना अनिवार्य था। एच.वी.पी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुपस्थिति हेतु विधिवत अनुमति दी गई थी।

पूर्वव्यस्तता के कारण स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति को समाप्त किया जा सकता था यदि कंपनी ने बोर्ड की बैठकों के लिए पर्याप्त समय पर नोटिस दिया होता। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति की व्याख्या करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 167 (1) (बी) का जो हवाला दिया है वो प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी शर्तों का प्रावधान है जिनके अंतर्गत एक निदेशक का कार्यालय खाली हो जाएगा।

4.3.5 कंपनी की आम बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा III (5) में बताया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की सभी आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। तालिका 4.5 ऐसे एस.पी.एस.ई. इंगित करती है जिनमें 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया।

[3] लेखापरीक्षा समिति की बैठक।

[4] दोनों कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकें।

तालिका 4.5: उन कंपनियों की सूची जहां स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने आम बैठकों में भाग नहीं लिया
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	4
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	4
6.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1
7.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	3
8.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	1
9.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2

जबकि एच.पी.जी.सी.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों की ओर से ऐसी बैठक में भाग लेना अनिवार्य नहीं था, डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक को अनुपस्थिति के लिए छुट्टी दी गई थी। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशक पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2021) कि पूर्ण कंपनी सचिव के अभाव में स्वतंत्र निदेशक आम बैठक में शामिल नहीं हो सके।

एच.पी.जी.सी.एल. और यू.एच.बी.वी.एन.एल. के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उपर्युक्त प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करने की जिम्मेदारी डालते हैं।

4.3.6 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

4.3.6.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा VII (1) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशकों को वर्ष में कम से कम एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना बैठक करनी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा VII (2) में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशकों को ऐसी बैठक में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। तालिका 4.6 ऐसे तीन एस.पी.एस.ई. को इंगित करती है जिनमें 2019-20 के दौरान कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 4.6: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं हुई

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बताया (जुलाई 2021) कि कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने, कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, एक विशेष उपाय के रूप में कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित करने से छूट (24 मार्च 2020) दी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 24 मार्च 2020 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा आदेश जारी करने तक और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त होने तक ऐसी कोई बैठक निर्धारित

नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च 2020 के पत्र में बताया गया है कि स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी अनुपस्थिति को उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह छूट एच.एस.आई.आई.डी.सी. के हवाले से काफी अलग है।

हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड (एच.एम.आर.टी.सी.) के संबंध में पृथक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन कंपनी द्वारा बैठक के कार्यवृत तैयार नहीं किए गए थे।

4.3.6.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के पैरा VII (3) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशक पृथक बैठक में (क) गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र बोर्ड के निष्पादन (ख) अध्यक्ष के निष्पादन और (ग) प्रबंधन एवं निदेशक मंडल के मध्य सूचना के प्रवाह, जो बोर्ड के लिए उनके कर्तव्यों के प्रभावी और उचित निष्पादन के लिए अनिवार्य है, की समीक्षा करेंगे। तालिका 4.7 ऐसे तीन एस.पी.एस.ई. को इंगित करती है, जहां स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में उपर्युक्त मामलों की समीक्षा नहीं की गई थी, यद्यपि पृथक बैठकें आयोजित की गई थीं।

तालिका 4.7: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों ने निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

एच.पी.जी.सी.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि एम.सी.ए. अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई 2017 के अनुसार, यह आवश्यकता सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.सी.ए. अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधान इन एस.पी.एस.ई. पर लागू नहीं थे क्योंकि राज्य सरकार ने न तो स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पालन के लिए अलग से ऐसी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया था और न ही इन एस.पी.एस.ई. द्वारा अनुपालन किया गया था।

4.4 निदेशक मंडल की बैठक की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (3) में बताया गया है कि निदेशक मंडल की बैठक की सूचना ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी। यद्यपि, बोर्ड की बैठक जरूरी कार्य करने के लिए कम दिनों की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है बशर्ते कि कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, बैठक में उपस्थित होगा। तालिका 4.8 ऐसे एस.पी.एस.ई. को इंगित करती है जहां निदेशक मंडल की बैठक की सूचना को कम से कम सात दिन पहले नहीं दी गई थी।

तालिका 4.8: निदेशक मंडल की बैठक से कम से कम सात दिन पहले सूचना नहीं दी गई थी

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	बैठकों की संख्या में से अवसरों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता	कम अवधि की सूचना के कारण स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति
1.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	10 में से 1	हां	एक बैठक में एक बार

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	बैठकों की संख्या में से अवसरों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता	कम अवधि की सूचना के कारण स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति
2.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	5 में से 1	नहीं	लागू नहीं
3.	हार्ट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	3 में से 1	नहीं	लागू नहीं
4.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	3 में से 1	नहीं	लागू नहीं
5.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	3 में से 2	नहीं	लागू नहीं
6.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	9 में से 8	हां	आठ बैठकों में पांच बार
7.	पानीपत प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	4 में से 1	नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सात एस.पी.एस.ई. में से दो (अर्थात् एच.एस.आई.आई.डी.सी. और एच.एम.आर.टी.सी.) को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता थी। तथापि, अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

(i) 7 मई 2019 को आयोजित एच.एस.आई.आई.डी.सी. बोर्ड की बैठक में सभी चार स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित रहे; जिसकी सूचना बैठक की तिथि से तीन दिन पहले ही दी गई थी।

(ii) दोनों स्वतंत्र निदेशक एच.एम.आर.टी.सी. बोर्ड की पांच बैठकों में अनुपस्थित रहे, जबकि दो में से एक स्वतंत्र निदेशक शेष चार बोर्ड बैठकों में अनुपस्थित रहे। इनमें से पांच बैठकों की सूचना सिर्फ एक दिन पहले दी गई थी। दो बैठकों के संबंध में सूचना चार दिन पहले और एक बैठक के संबंध में छः दिन पहले दी गई थी।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने स्पष्ट किया (जनवरी 2021) कि बोर्ड ने 29 मार्च 2019 को हुई अपनी पिछली बैठक में अगली बैठक 1 अप्रैल 2019 को आयोजित करने का निर्णय लिया था।

4.5 कार्यशील, गैर-कार्यशील और स्वतंत्र निदेशक के पदों को भरा जाना

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, निदेशकों आदि के पदों में रिक्तियों को समय पर भरने से कंपनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। रिक्तियों को भरे जाने में कोई विलंब निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभाविकता में बाधक हो सकता है। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 का नियम 4 यह निर्धारित करता है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र या निष्कासन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को तत्काल अगली बोर्ड बैठक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। तथापि, यह अवलोकित किया गया था कि तालिका 4.9 में वर्णित एस.पी.एस.ई. ने 2019-20 के दौरान उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद लंबे समय तक खाली पड़े रहे:

तालिका 4.9: एस.पी.एस.ई. जहां स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद समय पर नहीं भरे गए

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या[5]	रिक्त पदों की संख्या	2019-20 के दौरान उन माहों की कुल संख्या जिनमें पद रिक्त रहे
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2	1	4 (6.12.2019 से 31.03.2020)
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2	1	4 (28.11.2019 से 31.03.2020)
3.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2	4	17 तीन पद चार-चार माह (28.11.2019 से 31.03.2020) तथा चौथा पद पांच माह (25.10.2019 से 31.03.2020) से रिक्त पड़ा है
4.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2	2	24 दो पद 12-12 माह (01.04.2019 से 31.03.2020) तक रिक्त रहे

एच.पी.जी.सी.एल., एच.वी.पी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन. के प्रबंधनों ने बताया (जनवरी-फरवरी 2021) कि उन्होंने 6 दिसंबर 2019, 28 नवंबर 2019 और 28 नवंबर 2019 को हुई रिक्ति के विरूद्ध क्रमश: 6 नवंबर 2019, 5 नवंबर 2019 और 5 नवंबर 2019 को स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की। तथापि, राज्य सरकार ने क्रमशः 29 मई 2020, 4 जून 2020 और 10 जून 2020 को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी।

आगे, यह भी अवलोकित किया गया था कि तालिक 4.10 में सूचीबद्ध एस.पी.एस.ई. में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्तियों को ऐसी रिक्ति से छ: माह की अवधि के मध्य भरा नहीं गया था जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) में निर्धारित है:

तालिका 4.10: एस.पी.एस.ई. जहां प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को समय पर नहीं भरा गया

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	पदनाम	2019-20 के दौरान विलंब (माह में)
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
		निदेशक (तकनीकी)	**7 (25.09.2019 से 31.03.2020)**
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
		कंपनी सचिव	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
		निदेशक (तकनीकी-I)	**10 (30.05.2019 से 31.03.2020)**
		निदेशक (तकनीकी-II)	**7 (17.09.2019 से 31.03.2020)**

[5] संबंधित कंपनियों के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एम.ओ.ए.) ने बोर्ड में न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के होने का प्रावधान नहीं किया। इसी प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता को अपनाया गया है।

क्र. सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	पदनाम	2019-20 के दौरान विलंब (माह में)
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
5.	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	पूर्णकालिक निदेशक	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
6.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	प्रबंध निदेशक	**7 (11.09.2019 से 31.03.2020)**
7.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	कंपनी सचिव	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**
		मुख्य वित्त अधिकारी	**12 (1.04.2019 से 31.03.2020)**

एच.पी.जी.सी.एल., एच.वी.पी.एन.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि राज्य सरकार के स्तर पर निदेशक/वित्त और निदेशक/तकनीकी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान, यह सहमति हुई कि हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो को विशेष रूप से स्वतंत्र निदेशकों की समय पर नियुक्ति और प्रशिक्षण द्वारा एस.पी.एस.ई. द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

4.6 लेखापरीक्षा समिति

4.6.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) एवं (2) निर्धारित करती है कि न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। आगे कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम 2014 का नियम 6 प्रावधान करता है कि ₹ 10 करोड़ या अधिक की प्रदत्त पूंजी या ₹ 100 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ 50 करोड़ या अधिक के बकाया ऋणों या उधारों या डिबेंचरों या जमाओं वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी, एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी।

उपर्युक्त शर्तों के अनुसार ***परिशिष्ट IV सी*** में सूचीबद्ध 12 कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित था। तथापि, एक एस.पी.एस.ई. (हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड) ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया।

आगे, लेखापरीक्षा समिति के अधिकांश सदस्य तालिका 4.11 में वर्णित एस.पी.एस.ई. के संबंध में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 4.11: एस.पी.एस.ई. जहां लेखापरीक्षा समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत नहीं था

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम	अवधि
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	6 दिसंबर 2019 से
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	अप्रैल 2019 से
3.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	25 अक्तूबर 2019 से

हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड ने समुचित रूप से लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, यद्यपि 2019-20 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त कंपनी द्वारा तैयार नहीं किए गए थे।

एच.पी.जी.सी.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने स्वीकार किया (जनवरी एवं फरवरी 2021) कि अन्य स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता या कम कार्यकाल के कारण, लेखापरीक्षा समितियों के उचित गठन का अनुपालन नहीं किया जा सका और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के उनके प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित थे। एच.वी.पी.एन.एल. ने बताया कि स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत वाली लेखापरीक्षा समिति का विधिवत गठन (11 जून 2020) किया गया है।

4.6.2 नि.म.ले.प.की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामों की समीक्षा

सांविधिक अधिदेश के अनुसार सभी एस.पी.एस.ई. की नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए नि.म.ले.प. को प्राधिकृत करती है। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) (iii) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति, वित्तीय विवरणियों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, एस.पी.एस.ई. के मामले में नि.म.ले.प. के जांच परिणामों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का अधिदेश है। वार्षिक लेखाओं पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

4.6.3 एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा सेबी विनियमों का अनुपालन न करना

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) के बॉण्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था और 20 मार्च 2017 के लिस्टिंग समझौते के अनुसार, सेबी (एल.ओ.डी.आर.)[6] विनियम, 2015 के अनुपालन के बाद एच.वी.पी.एन.एल. की लेखापरीक्षा समिति द्वारा नहीं किया गया है:

- लेखापरीक्षा समिति ने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (11) के अनुसार अपेक्षित कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया है।
- सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (12) के अनुसार अपेक्षित सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई है।
- लेखापरीक्षा समिति ने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (13) के अनुसार अपेक्षित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा नहीं की है।
- सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 की अनुसूची II के विनियम 18 (3) और भाग सी (बी) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेनों के विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक

[6] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015.

नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्रों/पत्रों, आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तों और विचलनों के विवरण से संबंधित सूचना की समीक्षा करेगी, जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई है।

- लेखापरीक्षा समिति ने सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के भाग सी (ए) (16) के अनुसार अपेक्षित महत्वपूर्ण क्षेत्रो का एवं लेखापरीक्षा की प्रकृति और क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के पूर्व एवं पश्चात सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा नहीं की।

एग्जिट कांफ्रेंस (जुलाई 2021) के दौरान, एच.वी.पी.एन.एल. के प्रबंधन ने बताया कि सेबी की अपेक्षाओं का अनुपालन अगली रिपोर्ट से पहले किया जाएगा।

4.7 अन्य समितियां

4.7.1 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 6 में विनिर्दिष्ट है कि प्रत्येक एस.पी.एस.ई. एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन.आर.सी.) गठित करेगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक हों, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए और कम से कम आधे स्वतंत्र होंगे और समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, एस.पी.एस.ई. में कोई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नहीं थी जैसा कि तालिका 4.12 में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.12: एस.पी.एस.ई. जिनमें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नहीं थी

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

यद्यपि, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में समिति का गठन किया गया था, तीन निदेशकों और उनमें से आधे के स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षिता 2019-20 के दौरान पूरी नहीं की गई थी।

एच.पी.जी.सी.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि स्वतंत्र निदेशकों की दो रिक्तियों, जिनके प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित थे, के कारण एन.आर.सी. का गठन नहीं किया जा सका।

धारा 177 (लेखापरीक्षा समिति) और धारा 178 (नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति) के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, कंपनी पर न्यूनतम ₹ एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे ₹ पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है और कंपनी के प्रत्येक चूककर्ता अधिकारी को एक वर्ष तक के कारावास या न्यूनतम ₹ 25,000 के जुर्माने जिसे ₹ एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों ही से दंडित किया जा सकता है। हालांकि, यह देखा गया था कि 2019-20 के दौरान कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।

4.8 व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म

4.8.1 कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) में प्रावधान है कि कंपनी अनुचित आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता जताने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता यंत्रावली स्थापित करेगी। यह अवलोकित किया गया था कि तालिका 4.13 में यथा सूचीबद्ध 12 एस.पी.एस.ई. में से पांच एस.पी.एस.ई. में कोई व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म नहीं था।

तालिका 4.13: एस.पी.एस.ई. जिनमें व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म नहीं था

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
2.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
3.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
4.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

4.8.2 कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV का पैरा III (10) लेखापरीक्षा समिति, यदि यह कंपनी में विद्यमान है, द्वारा व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म की कार्यप्रणाली की समीक्षा निर्धारित करता है। नीचे तालिका 4.14 में वर्णित एस.पी.एस.ई. में यद्यपि व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म विद्यमान था, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की।

तालिका 4.14: एस.पी.एस.ई. जिनमें व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म था परंतु लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
3.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
4.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल., डी.एच.बी.वी.एन.एल. और एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने बताया (फरवरी 2021) कि जब कभी कोई शिकायत हुई तो लेखापरीक्षा समिति ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा की। एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया कि यह आवश्यकता गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों पर लागू नहीं थी।

एच.पी.जी.सी.एल., यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी (बोर्डों की बैठक और उसकी शक्तियां), नियम 2014 के अनुसार, जिन कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित था, उन्हें ऐसी समिति के माध्यम से सतर्कता तंत्र की निगरानी करना अपेक्षित था।

4.9 वार्षिक आम बैठक की सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 में प्रावधान है कि किसी कंपनी की आम बैठक की सूचना लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसा भी निर्धारित हो, के माध्यम से कम से कम 21 दिन पहले दी जानी चाहिए। आगे, आम बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है यदि ऐसी बैठक में मतदान हेतु पात्र कम से कम 95 प्रतिशत सदस्यों द्वारा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सहमति दी जाती है। एस.पी.एस.ई. की सूची जहां कम समय के नोटिस की अवधि की सहमति नहीं दी गई थी और जहां ए.जी.एम. का नोटिस 21 दिन पहले परिचालित नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 4.15 में दिया गया है।

तालिका 4.15: वार्षिक आम बैठक से कम से कम 21 दिन पहले नोटिस परिचालित नहीं किया गया

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम
1.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
2.	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
3.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड
5.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड

डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (फरवरी 2021) कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ए.जी.एम. कम समय के नोटिस पर आयोजित की गई थी, जिसमें ए.जी.एम. से पहले ही सभी शेयरधारकों की सहमति प्राप्त की गई थी। तथापि, तथ्य रहता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि (2019-20) के दौरान आयोजित ए.जी.एम. को अपेक्षित 21 दिनों से कम समय के नोटिस के साथ और कम समय के नोटिस के लिए शेयरधारकों की सहमति प्राप्त किए बिना आयोजित किया गया था।

4.10 संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 23 (1) और (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता पर एक नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित पार्टी लेनदेन की ऐसी भौतिकता को संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने ऐसी नीति नहीं बनाई है।

4.11 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 46 (2) (ए), (एफ) और (जी) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी (i) संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति और (ii) अपनी वेबसाइट पर गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड बशर्ते कि वार्षिक रिपोर्ट में इसका प्रकटीकरण न किया गया हो, पर सूचना का प्रकटीकरण करेगी। तथापि, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के मामले में कंपनी की वेबसाइट पर ऐसा कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

चयनित 22 एस.पी.एस.ई. में से एक एस.पी.एस.ई. में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई थी; चार एस.पी.एस.ई. में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्ति को भरने में तीन माह से अधिक के विलंब देखे गए थे; सात एस.पी.एस.ई. में बोर्ड में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्ति को भरने में छः माह से अधिक के विलंब देखे गए; एक एस.पी.एस.ई. में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; तीन एस.पी.एस.ई. में किसी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था; पांच एस.पी.एस.ई. में कोई व्हीसल ब्लोअर मैकेनिज्म विद्यमान नहीं था, एक सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट पर संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति का प्रकटीकरण नहीं किया गया था ।

सिफारिश

हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें उनकी नियुक्ति, बैठक फीस आदि के लिए प्रस्ताव शुरू करने के लिए समय सीमा सहित मानक निबंधन एवं शर्तें शामिल हों। हरियाणा सरकार कंपनी नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 में यथा निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर प्रभाव डाले ताकि एस.पी.एस.ई. में कॉरपोरेट गवर्नेंस के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

मामला दिसंबर 2020 में सरकार और कंपनियों के पास भेजा गया था। तथापि, छः कंपनियों और सरकार (एच.वी.पी.एन.एल. के मामले को छोड़कर) के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जून 2021)। जुलाई 2021 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।